

**कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती**

पत्रांक सं०:- 2268 / 12-1 मुनिकीरेती,

दिनांक 20 / 05 / 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :- जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विकासखण्ड चिन्यालीसौड के अन्तर्गत चिन्यालीसौड-जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 1.5252 हे० वन भूमि के सम्बन्ध में (Online No.:- FP/UK/ROAD/41009/2019)

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक- 1567/FP/UK/ROAD/31858/2018 दिनांक 29-12-2021
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से इंगित कमियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक-2860/12-1 दिनांक 25/04/2023 से इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जिसकी बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नलिखित प्रेषित की जा रही है :-


क्र.सं	आपत्ति	आख्या
01	In reply to point no 2, submitted that village is not connected with the road. However on perusal of KML file it appears that village is already connected and another connectivity (proposed road) with enumeration of 75 tress is not justified.State government is requested to submit the details of the routes nearest to the existing routes to the village.	याचक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम गोरुण चिन्यालीसौड-जोगथ मोटर मार्ग के किमी. 24 से लगभग 1.50 कि०मी० की पैदल दूरी पर स्थित है। प्रस्तावित मोटर मार्ग की अपलोड की गयी के०एम०एल० फाइल में ग्राम जुडा हुआ प्रतीत हो रहा है, जो कि पैदल मार्ग से जुडा है। मार्ग में 0-10 व्यास वर्ग के 14 पेड़ों को पृथक कर अब कुल प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 59 होती है। मार्ग पर 7.00 मीटर चौड़ाई में ही पेड़ों की गणना की गयी है, जो इससे कम होना सम्भव नहीं है।
2	State govt. is also requested to clarify considering the distance of the existing routes from the village if the proposed road meets the IRC norms.	अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन की मार्ग नीति के अनुरूप पत्रांक-8167/III(2)/18-15 (सा.)/2018, दिनांक 31.12.2018 (प्रति संलग्न-1) के बिन्दु सं०-04 द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि उत्तराखण्ड की विषम भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए सडक से 100 मीटर ऊर्ध्वाधर दूरी से कम दूरी के गांव को मोटर मार्ग से जुडा हुआ माना जायेगा, जबकि ग्राम गोरुण एवं पोखरी की दूरी 150 से 200 मीटर तक हैं इसलिए उक्त गांव को सडक से संयोजकता हेतु अलग से मार्ग की आवश्यकता है।
3	In reply no 3, no correction made. state govt. is again requested to upload the digital map and SoI Toposheet map of the CA area metioning the name of the	उक्त के अनुपालन में सी०ए० का डिजिटल मैप, सी०ए० का क्षेत्रफल एवं नाम सहित part-I के additional information documents में अपलोड कर दी गई

६

	selected CA Area.	है।(संलग्न-2)
4	In reply to point no 4 only geologist report found uploaded. Administrative approval is not found uploaded yet which is required to be uploaded.	उक्त के अनुपालन में प्रशासनिक स्वीकृति की छायाप्रति याचक विभाग द्वारा part-I के additional information documents में अपलोड कर दी गई है।(संलग्नक-03)
5	In reply to point no 5, instead of providing the date on tree enumeration list of trees has been removed from part-II. State Govt, is requested to upload the tree enumeration list mentioning the date of tree counting duly authenticated by the concerned authority.	वृक्षों की गणना सूची में निरीक्षण तिथि अंकित कर इस कार्यालय द्वारा part-II के additional information documents में अपलोड कर दी गई है।(संलग्नक-4)

संलग्न-यथोपरि।


भवदीय


(धर्म सिंह मीणा)
वन संरक्षक
१२/०५/२३

पत्रांक:-2268/12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। :-

1. प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।


वन संरक्षक
भागीरथी वृत्त मुनिकीरेती।
१२/०५/२३